संख्या–594 /VI/2015–71(8)2014

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व,तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग देहरादूनः **दिनांक** 04 दिसम्बर ~~नवम्बर,~~ **2015**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित बजट की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या –2438/सं0नि0उ0/दो–3/2015–16 दिनांक 05.11..2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से संस्कृति विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष ₹ 49692 हजार (रू0 चार करोड़ छियानब्बे लाख बयानब्बे हजार मात्र), अनुदान संख्या –30 के अन्तर्गत ₹ 1000 हजार(₹दस लाख मात्र), तथा अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत ₹ 500 हजार (₹ पांच लाख मात्र), अर्थात कुल धनराशि ₹51192 हजार (रू0 पांच करोड़ ग्यारह लाख बयानब्बे हजार) मात्र की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति निम्नाकिंत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है:–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

–2–

3– उक्त धनराशि का भुगतान वास्तविक व्यय एवं संगत वित्तीय मानकों के प्राविधानानुसार ही किया जायेगा।

4– व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11,30 व 31 के लेखाशीर्षक–2205– के संगत मानक मदों के संलग्न विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश पत्र संख्या–400/XX VII(1)/2015–16 दिनांक 01अप्रैल 2015 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या–594/VI/2014–71(8)2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उपसचिव।

(क) 2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–39–हरेला महोत्सव का आयोजन

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
	आयोजनागत
42–अन्य व्यय	2500
योग–	**2500**

(ख) 2205–कला एवं संस्कृति –102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन –40–राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन–आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
42–अन्य व्यय	2000
योग–	**2000**

(ग) 2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–41–प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्द्धन–

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
42–अन्य व्यय	10000
योग	10000

(घ) 2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–42–चैतुला फण्ड/चैतुला उत्सव का आयोजन

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
42–अन्य व्यय	20000
योग	20000

(ङ) 2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–43–राज्योत्सव (राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का अयोजन)

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
42–अन्य व्यय	10000
योग	10000

(च) 2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–44–हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र देहरादून का वार्षिक रख–रखव/संचालन

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
29–अनुरक्षण	4000
42–अन्य व्यय	1000
योग	5000

(छ) 2205–कला एवं संस्कृति–00–103–पुरातत्व विज्ञान–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
01–पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (50 प्रतिशत के0स0)	175
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17
17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व	
योग	192

अनुदान संख्या–30 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति––00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–02–अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान –00

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000
योग–	1000

अनुदान संख्या–31 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–03–पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेशभूषा का क्रय

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	500
योग–	**500**

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उपसचिव